विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय I राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा प्रस्तुत किया गया है। अध्याय II में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है तथा अध्याय III में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अध्याय-वार सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा

- अप्रैल 2020 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लेखांकन प्रणाली लागू किए जाने के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्रोत, राज्य वित्त आयोग से हस्तांतरित तथा विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधियों के लिए लेखाओं का संधारण अभी भी नकद आधारित मैनुअल प्रणाली से किया जाना जारी है। वर्तमान में केवल केन्द्रीय वित्त आयोग से हस्तांतरित निधियों का ही लेखांकन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में किया जा रहा है।

(कंडिका 1.5.1)

- शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान में लेखा-बही के संधारण हेतु एकल प्रविष्टि आधारित नकद लेखांकन प्रणाली का पालन किया जा रहा है। द्वि-प्रविष्टि उपार्जन आधारित लेखा प्रणाली में स्थानांतरण की प्रक्रिया जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई थी, तथापि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए यह प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर थी।

(कंडिका 1.5.2)

2. निष्पादन लेखापरीक्षा – पंचायती राज संस्थाएं

2.1 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करके स्थानीय ग्रामीण स्व-शासन को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियमित निर्वाचन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण और राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियों जैसे संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान की 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243जी) में सूचीबद्ध 29 कार्यों के अनुरूप, कार्यों और दायित्वों के हस्तांतरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अगस्त 1998 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए

गए थे, और छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के पश्चात इनमें बाद में संशोधन भी किए गए। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने हेतु अधिदेशित किया गया और वर्ष 2006-07 में गतिविधि मानचित्रण कार्य में भी पंचायती राज संस्थाओं को 12 कार्य अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, तथापि, कार्यात्मक अंतरण के लिए प्रचालनात्मक ढांचा मौजूद नहीं था और पंचायती राज संस्थाएं अभी भी संविधान के अंतर्गत परिकल्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त रूप से सक्षम था।

(कंडिका 2.9.2)

- चयनित 21 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के 22 पद (सरपंच के तीन पद और पंच के 19 पद) छः महीने से अधिक समय से खाली पड़े थे और मार्च 2024 की स्थिति में भरे जाने बाकी थे।

(कंडिका 2.10.3)

- 2018-23 की अवधि के दौरान अनिवार्य जिला योजना समिति की बैठकें नहीं बुलाई गई थीं।

(कंडिका 2.11.2)

- पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राजस्व जैसे भू-राजस्व, भू-राजस्व पर उपकर और उत्पाद शुल्क अधिभार के विरुद्ध कोई राशि अंतरित नहीं की गई थी। 2018-23 के दौरान लघु खनिज रॉयल्टी और स्टांप और पंजीकरण शुल्क के तहत आवंटित राजस्व के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को केवल ₹ 398.20 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

(कंडिका 2.12.3(ए))

- 2018-23 के दौरान, राज्य के स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्तियां से हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण राशि से ₹ 3,243.46 करोड़ रुपये कम पाया गया।

(कंडिका 2.12.3(बी))

- 36 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में, ग्राम सभा की किसी भी बैठक में आवश्यक गणपूर्ति को पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों में भी गणपूर्ति करने के लिए, जिम्मेदार पदधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 2.13.1)

- नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखें तैयार नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.13.3)

- कुल मिलाकर, संचालनालय और जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में स्वीकृत 2,260 पदों में से 872 (39 प्रतिशत) भरे गए थे, जिससे 1,388 पद (61 प्रतिशत) रिक्त थे और ग्राम पंचायत स्तर पर 1,278 सचिव की कमी के साथ 11,656 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10,378 सचिव पदस्थ थे।

(कंडिका 2.14.1)

- नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों/ जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियों की बैठकें नियमों में निर्धारित समयबद्ध तरीके से आयोजित नहीं की गई थीं।

(कंडिका 2.16.4)

3. शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

यह अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित दो कंडिकाएं शामिल है।

- नगरपालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निर्मित सुभाष द्वार बिजनेस कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन में विलंब के कारण किराये से ₹ 39.11 लाख के संभावित राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.1)

- नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला एवं अकलतरा के अंतर्गत जल आपूर्ति अवसंरचना कार्यों के विलंबित एवं अपूर्ण निष्पादन के लिए ठेकेदारों से ₹ 5.18 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि की वसूली न करना तथा अनुबंधीय प्रावधानों को लागू करने में विफलता।

(कंडिका 3.2)